

राजस्थान – सरकार  
पर्यटन विभाग, जयपुर  
विधायपुरी थाने के सामने, संजय मार्ग, एम.आई. रोड, जयपुर

क्रमांक एफ-8 (19)सू.अ./पवि/2011/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 21952-80 दिनांक 24.12.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रकरणों में त्वरित निस्तारण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1)(2) एवं 19 (1) राजस्थान राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 26(2) के अनुसरण में निदेशालय पर्यटन विभाग में तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निम्नानुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी मनोनीत/नियुक्त किये जाते हैं:-

प्रथम अपीलीय अधिकारी	निदेशक पर्यटन विभाग, जयपुर
राज्य लोक सूचना अधिकारी	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
सहायक लोक सूचना अधिकारी	संयुक्त निदेशक/प्रभारी, सूचना का अधिकार शाखा, पर्यटन विभाग, जयपुर

हो  
(डॉ. भंवर लाल)  
निदेशक पर्यटन

क्रमांक एफ-8 (19)सू.अ./पवि/2011/911-38

दिनांक 10/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, माननीय पर्यटन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय पर्यटन राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार), राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पर्यटन विभाग, जयपुर।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (विकास), पर्यटन विभाग, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. उप निदेशक(ए.सी.पी.), आई.टी. निदेशालय, पर्यटन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय/पर्यटक स्वागत केन्द्र/पर्यटक सूचना केन्द्र, अजमेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/अलवर/भरतपुर/बीकानेर/चित्तौड़गढ़/जयपुर/जैसलमेर/झालावाड़/झुन्झुनूं/सवाई माधोपुर/माउण्ट आबू/नई दिल्ली/बांसवाड़ा/बून्दी।
13. रक्षित पत्रावली

24  
(डॉ. मनोषा अरोड़ा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)